समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता को अपनाएगेंए शहर को सुंदर बनाएगे

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत बोहरा बाखल क्षेत्र में सफाई मित्र समूह ने रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर शहर को नम्बर-1 बनाने का संकल्प दिलाया।

रतलाम 26 दिसम्बर । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीरए के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत जरुरी होता है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता हैए जब हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और यह हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश सदैव साफ रहे। इसलिए हम स्वच्छता को अपना कर अपने शहर के कोने-कोने को सुंदर बनाने का प्रयास करेगे। यह संकल्प शनिवार को बोहरा बाखल क्षेत्र के रहवासियों ने लेते हुए कहां कि ना तो हम गंदगी और कचरा करेगे और ना ही करने देगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान 2021 के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बाजना बस स्टेण्ड क्षेत्र के कई इलाकों में रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान शनिवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 33 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 26 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चांदनी चौकए त्रिपोलिया गेटए लक्कड़पीठा आदि क्षेत्रों में गंदगी व मलबा फैलाने पर राकेश पर 1000ए ताहेर अलीए जैनुउद्धीनए संतोष मावा वालाए मोतीलालए आशीषए जानकीलालए अशोक झमकलालए शंकरलाल पर 500.500ए जमीला व शैतानमल पर 300.300ए मनीष नाथुलालए अग्रवाल कार्नरए दिनेशए मोहम्मद रफीकए हकीमी आयरनए राज हार्डवेयर व कंचन पर 250.250ए आनन्दीलाल व अर्जून पर 200.200ए दिलीपए कैलाशए कालूए अनवर हुसैनए उस्मान अलीए पर 100.100ए चेतन मालीए भूरीबाईए मोहम्मद भाईए श्यामाबाईए अभयए आफताबए लीलाबाईए मंगला पर 50.50 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

65 दिनों में 103 वॉल्व व 466 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 26 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 26 दिसम्बर तक 103 वॉल्व व 466 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 26 दिसम्बर शनिवार को अशोक नगरए न्यू कल्याण नगरए पुराना

कल्याण नगरए गांधी नगरए कस्तुरबा नगर डबकरा जी के घर के सामनेए शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के सामनेए जावरा रोड आरा मशीन के सामनेए दौलतगंजए दो बत्ती कोठारी मार्केट के सामनेए महलवाड़ा गेट के सामने पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही जावरा रोड खजूर वाले बाबा के सामने वॉल्व लीकेज को दुरस्त करवाया गया। इसके अलावा पुराने कल्याण नगर में ट्यूबवेल लाईन दुरस्तीए वार्ड 8 गणेश नगर में पाईप लाईन के 3 गढ़डे बंद करवाये तथा बजरंग नगर में पाईप लाईन जुड़वाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 26 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 26 दिसम्बर शनिवार को लक्कड़पीठा नाला व मौलाना आजाद नगर नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा करवाया गया।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 26 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए रैन बसेरा सिविक सेन्टरए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्ड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लिये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश

रतलाम 26 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यो द्वारा नगर के खुले क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 26 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 26 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा

रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

दो बत्ती चौराहे पर सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने 53ए69ए854६. संपत्तिकर व 20ए35ए790६. जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह
रतलाम 26 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर

94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६.ए महावीर नगर षिविर में जलकर 45ए550६.ए पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 5ए91ए492६. व जलकर 1ए31ए930६.ए चौगानिया भेरू मंदिर षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षिक्षा विभाग के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६.ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 2ए65ए000६. व जलकर 2ए31ए675६.ए षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर 4ए03ए000६. व जलकर 2ए27ए300६.ए दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर 79ए000६. व जलकर 1ए11ए040६. की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षिविरों मेंेें 53ए69ए854६. संपत्तिकर व 20ए35ए790६. जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से

50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 482 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 26 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 26 दिसम्बर तक 482 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 26 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 482 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 26 दिसम्बर शनिवार को अलकापुरीए जवाहर नगरए चांदनी चौकए दीनदयाल नगरए बाजना बस स्टैण्डए धानमण्डी से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**26ण12ण2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.